



गाजियाबाद

विकास

प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

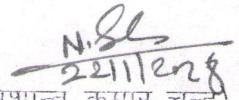
पत्रांक: 118 / प्रवर्तन जोन-3 / 2018

दिनांक 22/01/2018

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र
(आवेदन पत्र के भाग 'अ', 'ब' एवं 'स' की फोटो कॉपी पर जारी किया जा रहा है)

श्री कुलदीप सिरौही, मै0 आदित्य, ब्यूरो बिल्ड प्रा0लि0, सिग्नेचर स्ट्रीट, जी-ब्लॉक गोविन्दपुरम, गाजियाबाद द्वारा व्यवसायिक भूखण्ड ब्लॉक-जी गोविन्दपुरम योजना पर प्राधिकरण द्वारा मानचित्र संख्या-416/व्यवसायिक/जोन-3/15 दिनांक 27.05.2015 स्वीकृत कराया गया है। निर्मित व्यवसायिक भूखण्ड का सम्पूर्ति प्रमाण पत्र का परीक्षण कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा शमन स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उ0प्र0 प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15 क (2) के अनुसार पूर्णता-पत्र का निम्न शर्तों के अधीन जारी किया जा रहा है :-

1. विभिन्न विभागों द्वारा जारी एन0ओ0सी0 पत्रों में उल्लेखित सभी शर्तों का अनुपालन करना होगा अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
2. मानचित्र के विपरीत भविष्य में किसी भी प्रकार के निर्माण किये जाने पर सम्पूर्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
3. शमनित/स्वीकृत मानचित्र की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
4. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग क्रियाशील रखने एवं रख-रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
5. किसी त्रुटिवश कोई धनराशि शेष रह जाती है तो प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी।


(निशान्त कुमार चन्द्र)

प्रभारी प्रवर्तन जोन-3
निशान्त कुमार चन्द्र
सहायक अभियन्ता
प्रभारी प्रवर्तन जोन-3